



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15218

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या - 601 सन् 2026

अरुण कुमार त्रिपाठी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संजय कुमार वर्मा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार वर्मा और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. दोनों पक्षों के अधिवक्तागण ने संयुक्त बयान दिया है कि वे कोई और शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से किया जा रहा है।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उनकी नियुक्ति सिविल पुलिस में कांस्टेबल के पद पर 26.07.1984 को हुई थी और वे 31.10.2024 को विभाग से सब इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए। उनका अंतिम वेतन 64,100 रुपये था। हालांकि, यह याचिकाकर्ता की पीठ पीछे एकतरफा कार्रवाई है। अब उक्त राशि की वसूली और मूल वेतन को 64,100 रुपये से घटाकर 60,400 रुपये करने के आदेश पारित किए गए हैं।
4. इसी को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा है कि यह एकतरफा कार्रवाई याचिकाकर्ता को सूचित किए बिना पीठ पीछे की गई है। आगे उन्होंने कहा कि यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला नहीं है।
6. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि चाहे जो भी हो, चुनौती दिए गए आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था।
7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बात सुनी है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।
8. तथ्य विवाद में नहीं हैं। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति की तिथि पर 64,100 रुपये का मूल वेतन प्राप्त था, जिसे घटाकर 60,400 रुपये कर दिया गया है। अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था।
9. दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता द्वितीय प्रत्यर्थी, वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस, मुख्यालय, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। द्वितीय प्रत्यर्थी इसे प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय कानून के अनुसार तीन महीने के भीतर करेगा। यदि द्वितीय प्रत्यर्थी का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।
10. की गई कोई भी वसूली इसमें पारित अंतिम आदेशों के अधीन होगी।

21 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।